न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 15/2023(जी.सी.एम.एस.2023/415)

प्रार्थीगण	बनाम अप्रार्थीगण
1. बलराज सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. मनजीत कौर पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. रमनदीप कौर पुत्री अवतार सिंह पत्नी गुरजोत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा हाल निवासी शेरखां तहसील व जिला मानसा पंजाब।	1.अश्विनी कुमार पुत्र हरी नारायण जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर। 2.विजय कुमार पुत्र कौर चन्द जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर। 3.द्वारकी पत्नी हरी नारायण जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर। 4.रूपल अग्रवाल पुत्री हरी नारायण जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर। तमाम अप्रार्थीगण जरिये मुखत्यारेआम मनोहर लाल पुत्र नारायण दास जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर। 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–12.10.2023

उपस्थित:1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री विनय कुमार गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

——निर्णय—— दिनांक : 30.04.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 196/143 के मुरब्बा नम्बर 18, 40, 101/60 की कुल 8.387 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/139 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 6, 7, 16, 17, 27, 28, 36, 39, 40, 41, 50, 51, 101/3, 101/4, 101/5 की कुल 58.061 हैक्टेयर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला मुश्तर्का खाता की भूमि है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 ता 25 भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में आने जाने के लिए अपने मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 से होकर मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी बट के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण बट के साथ-साथ पश्चिम से पूर्व होते हुए अपने मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 में प्रवेश करते है। उक्त रास्ता मौका पर 2-2 बिस्वा चालू है। जिसे प्रार्थीगण मंजूर करवाना चाहते है। उक्त रास्ता मंजूर करवाने हेतु प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण में दिनांक 27.01.2023 को राजीनामा भी निष्पादित हो चुका है। राजीनामा मुताबिक अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता को देने हेतु सहमत है। जिसके बदले में प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थीगण क्लेम प्राप्त कर चुके है, कुछ भी लेना नहीं चाहते। उक्त रास्ता मौका पर चालू है, उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 40 में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है, जिसे प्रार्थीगण मंजूर करवाना चाहते है। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क करके मुताबिक राजीनामा वादगत रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में मंजूर करवाये जाने हेतु कहा तो उन्होनें कहा कि ऐसा अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है, इसलिए आप राजस्व न्यायालय में चाराजोही करे। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार गर्ग उपस्थित आए। अप्रार्थीगण की ओर से जरिए मुखत्यारेआम अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा दिनांक 27.01.2023 की रूह से उक्त प्रकरण स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/305 दिनांक 08.04.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक श्रीकरणपुर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक श्रीकरणपुर व पटवारी हलका 10 ओ द्वारा चक 13 ओ के मुरब्बा नम्बर 40, 18, 27 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यातिंक आवश्क है। प्रार्थी की मांग व्यावहारिक है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, राजीनामा एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 196/143 के मुरब्बा नम्बर 18, 40, 101/60 की कुल 8.387 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 4 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि से रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यतिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। राजीनामा/समझौतानामा दिनांक 27.01.2023 के मुताबिक उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। रास्ता की भूमि का लेने-देने राजीनामा में हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/256 **दिनांक :- 30.04.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः-प्रकरण संख्या 15/2023 अनवान बलराज सिंह आदि बनाम अश्विनी कुमार आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 30.04.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर